न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर
शाखा रीवा जिला रीवा म.प्र.

Rs.20/-

निग/3163/III/15

357
26.8.15

1–शारदा प्रसाद तिवारी पिता बाला प्रसाद उम्र–65 वर्ष

2–अवधेश प्रसाद तिवारी पिता रामकिशोर तिवारी उम्र–42 वर्ष,

3–रामराजा तिवारी पिता श्यामलाल तिवारी उम्र–50 वर्ष

सभी निवासी साकिन पालदेव तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र................. **निगराकारगण**

बनाम

जगनंदन प्रसाद पिता जमुना प्रसाद उम्र–75वर्ष निवासी बृजपुरा तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र........**गैरनिगराकार**

श्री ... द्वारा आज दिनांक 26-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
मोहर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र. के रा.प्र.क्रं.52/ए12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.11.14

हस्व धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैरनिगराकार/आवेदक ने अपने भूमिस्वामित्व की आराजी नं.83/2 रकवा 4बीघा 7विश्वा/0.909हे.वाका मौजा बृजपुरा तहसील मझगंवा प्रभारी वृत्त चित्रकूट जिला सतना म.प्र.के संबंध में दिनांक 20.07.2013 को सीमांकन किया जाना कहा जाकर एवं उक्त सीमांकन की दिनांक 23.11.14 को पुष्टि किया जाना

.........2

शारदा प्रसाद / ज्ञानचन्द्र प्रताप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15.9.15	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक अभिभाषक श्री आर.बी. सिंह राठौर द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण सुनवाई हेतु लिया गया। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रभारी राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट, तहसील - मझगवां, जिला - सतना के प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 23.11.14 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 4. निगरानी का मुख्य आधार यह बताया गया है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल, चित्रकूट द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु सूचना-पत्र तो जारी किया गया है तथा सीमांकन किये जाने की तिथि दिनांक 26.7.13 नियत की गयी। उक्त नियत तिथि को वह (आवेदक), सुबह 8.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक बैठा रहा। किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा नियत तिथि को किसी प्रकार का सीमांकन किया ही नहीं गया। बिना सीमांकन किये केवल पंचनामा तैयार कर लिया गया और न ही आवेदकगण के केवल पंचनामा में हस्ताक्षर ही कराये गये। प्रश्नाधीन सीमांकन से आवेदकगण की भूमियां अनावेदक की भूमि में दबती हुयी दर्शाया गया है। विवादित सीमांकन बिना किसी आधार के अपने मनमानी तौर किये जाने के कारण निरस्त किया जावे।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3163 /तीन/15 जिला सतना

शारदा प्रसाद त्रिपाठी / जगनंदन प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5- मैंने निगरानी आवेदन तथा अधी. न्याया. के संलग्न सत्यापित प्रति अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किये जाने की तिथि की सूचना आवेदक को दी गयी। सीमांकन पश्चात तैयार स्थल पंचनामा में आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं और न इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि पंचनामे में आवेदक गण उपस्थित रहते हुये हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। और आवेदकगण की अतिरिक्त जमीन नाप दी गयी। सीमांकन के समय यदि आवेदकगण उपस्थित थे तथा पंचनामा में हस्ताक्षर करने से इंकार किया. तब इस बात का उल्लेख पंचनामा में किया जाना चाहिये. जो नहीं किया गया। 6- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विवादित आदेश दिनांक 23.11.14 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विवादित भूमि का पुनः सीमांकन सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर करें। 7. आदेश की प्रति अधी. न्याया. को भेजी जावे। 8. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा. द. हो। (हस्ताक्षर) सदस्य.	

[कृ. प. उ.